

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 56
06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

***56. डॉ. जयंत कुमार राय:**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है और वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि अंतरित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार की पीएम-किसान योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले लाभों में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000/12000 रुपये प्रतिवर्ष करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तरार्थ पीएम-किसान के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि के संबंध में डॉ. जयंत कुमार राय, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (क) से (ड) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : पीएम-किसान स्कीम, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम है जिसका उद्देश्य भू-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस स्कीम के तहत, देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्येक चार माह के अंतराल पर में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीमों में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना से यह सुनिश्चित हुआ है कि स्कीम का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचेगा। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 15 किशतों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या और उन्हें जारी किए गए लाभ **अनुबंध** पर दीए गए हैं।

(ग) से (ड) : ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या और उन्हें जारी किए गए लाभ (31.01.2024 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24 (आज की तारीख में)	
		लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9,932	2.02	16,408	9.98	16,324	9.73	16,278	9.54	14,992	8.56	13,317	3.61
2	आंध्र प्रदेश	32,82,718	663.37	49,88,526	2,710.38	49,45,915	2,865.04	46,19,042	2,907.32	47,83,815	2,960.39	43,51,733	1,889.78
3	अरुणाचल प्रदेश	1,723	0.36	62,174	29.43	92,187	56.77	93,589	56.68	95,101	53.08	73,592	29.08
4	असम	5,81,640	231.09	11,67,349	1,396.09	9,14,920	949.64	10,71,183	930.29	10,43,684	563.81	12,49,342	768.93
5	बिहार	2,50,259	50.16	61,99,499	2,921.67	77,41,026	4,601.39	82,93,369	5,036.18	83,54,694	4,852.28	78,66,793	3,185.47
6	चंडीगढ़	48	0.01	448	0.27	432	0.25	397	0.24	367	0.20	288	0.12
7	छत्तीसगढ़	1,02,418	22.61	20,51,454	1,043.50	29,82,441	1,732.77	32,56,928	1,920.40	29,52,461	1,620.15	22,20,043	1,026.20
8	दिल्ली	-	-	13,131	7.32	14,436	8.53	15,041	9.17	14,976	8.45	13,467	4.73
9	गोवा	2,409	0.49	8,600	4.31	9,630	5.57	9,451	5.73	9,118	4.74	6,080	2.57
10	गुजरात	28,07,123	572.06	51,15,606	2,884.99	56,67,578	3,380.67	58,84,499	3,599.56	59,62,498	3,169.21	48,49,361	2,005.01
11	हरियाणा	9,58,243	193.31	16,40,605	912.82	18,77,638	1,152.16	18,85,927	1,146.53	18,62,409	986.34	16,20,441	667.22
12	हिमाचल प्रदेश	4,53,099	91.41	8,80,386	525.36	9,18,670	549.43	9,51,460	570.14	9,46,584	469.93	7,88,339	347.27
13	जम्मू और कश्मीर	4,42,022	91.57	9,60,427	567.28	11,18,251	690.88	11,19,400	665.14	11,07,186	528.52	7,78,742	356.50
14	झारखंड	5,23,491	112.81	14,26,725	565.37	23,82,929	1,404.22	17,86,387	1,126.57	22,61,747	1,327.25	15,74,430	700.51
15	कर्नाटक	19,819	3.97	50,66,822	2,789.78	53,84,848	3,158.72	53,10,993	2,872.39	51,89,070	3,414.09	50,58,371	1,983.37
16	केरल	9,37,499	191.60	28,82,209	1,938.29	34,85,910	2,114.34	35,58,135	2,186.09	34,97,760	1,599.08	26,18,265	1,215.77
17	लद्दाख	6,952	1.43	13,817	8.80	17,035	9.32	17,788	11.10	17,673	10.38	16,578	7.22
18	लक्षद्वीप	-	-	1,271	0.30	828	0.68	870	0.43	848	0.66	1,538	2.24
19	मध्य प्रदेश	6,508	1.86	65,27,650	3,113.16	82,68,128	5,160.57	85,43,158	5,193.09	85,40,799	4,877.07	80,50,570	3,390.79
20	महाराष्ट्र	21,37,834	436.82	91,18,846	4,898.93	1,08,13,588	6,672.20	1,05,37,699	6,431.78	1,04,51,413	5,657.17	92,50,178	3,863.01
21	मणिपुर	29,118	6.27	2,73,117	86.71	4,99,760	238.24	3,11,117	177.09	3,67,646	192.89	6,759	4.25
22	मेघालय	4,099	1.86	51,055	43.39	99,532	107.30	1,08,933	115.61	63,496	20.09	63,796	46.81

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24 (आज की तारीख में)	
		लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
23	मिजोरम	22,237	5.42	67,692	38.95	1,46,078	83.59	1,06,006	64.47	88,121	45.80	67,879	34.06
24	नागालैंड	30,367	6.46	1,88,798	91.16	1,97,781	121.96	1,99,872	122.65	1,97,156	103.46	1,48,095	61.77
25	ओडिशा	9,42,558	194.77	35,11,715	1,686.71	25,55,039	1,458.08	33,02,915	2,670.14	33,89,456	1,792.39	30,11,710	1,400.43
26	पुदुचेरी	4,215	0.85	10,072	5.91	10,793	6.57	10,403	6.19	10,235	5.89	8,477	3.36
27	पंजाब	11,78,760	236.29	23,09,638	1,262.73	19,09,414	1,177.22	17,75,423	1,055.81	17,07,726	691.33	9,33,728	334.99
28	राजस्थान	64,634	13.00	55,62,821	3,381.96	67,51,644	4,321.77	73,30,925	4,588.52	72,59,810	3,793.16	61,37,478	2,461.94
29	सिक्किम	-	-	6,004	1.53	8,452	5.14	10,242	6.60	11,706	8.58	15,566	9.56
30	तमिलनाडु	21,10,171	432.26	36,83,322	2,130.87	44,56,161	2,593.18	37,82,040	2,279.49	32,29,942	1,574.72	22,36,183	935.17
31	तेलंगाना	20,09,462	405.62	34,73,883	2,121.94	36,36,780	2,214.00	36,52,742	2,277.90	35,81,183	2,012.07	30,39,181	1,277.92
32	दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन और दीव	7,534	1.52	14,136	8.07	14,284	6.75	12,809	8.48	12,958	8.64	11,832	4.75
33	त्रिपुरा	1,48,070	30.37	1,95,260	113.43	2,20,589	130.15	2,19,576	133.93	2,34,744	147.59	2,28,999	90.11
34	उत्तर प्रदेश	1,07,84,198	2,238.84	1,98,70,156	11,006.60	2,33,05,750	14,431.51	2,45,57,618	15,771.12	2,43,00,482	12,451.21	2,02,98,268	8,430.78
35	उत्तराखंड	4,08,953	83.09	7,50,057	432.01	8,61,939	518.67	8,97,805	547.04	9,00,563	475.57	8,13,105	329.66
36	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	46,44,497	2,628.31	48,69,297	2,839.15	46,93,724	1,913.26
	कुल योग	3,02,68,113	6,323.58	8,81,09,679	48,740.01	10,13,26,710	61,937.01	10,78,94,517	67,131.71	10,73,31,716	58,273.92	9,21,16,248	38,788.23
